

पेषक,

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

विशेष न्यायाधीश(भ्र०नि०अधि-01)

लखनऊ।

दिनांक- 208/CN/2026-30/9/26

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०

लखनऊ।

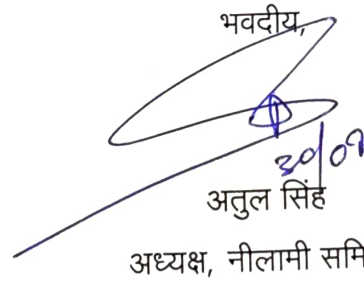
विषय- वर्तमान शेष वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए जनपद न्यायालय, लखनऊ परिसर में किराये पर नीलाम होने वाली दुकानों, कैन्टीनों, पार्किंग स्थल की नीलामी कराये जाने से सम्बन्धित सूचना को क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद न्यायालय, लखनऊ परिसर में स्थित दुकानों, कैन्टीनों की नीलामी शेष वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए किया जाना है, जिससे सम्बन्धित नीलामी सूचना को दैनिक जागरण एवं क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किया जाना है। उक्त से सम्बन्धित नीलामी सूचना 06 प्रतियों में पेन ड्राइव (सौफ्ट कॉपी हेतु) के साथ आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतएव आपसे इस अपेक्षा के साथ अनुरोध है कि उपरोक्त से सम्बन्धित नीलामी सूचनाओं को दैनिक जागरण एवं अन्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं उससे सम्बन्धित समाचार पत्रों की एक-एक प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

दिनांक- 30.09.2026

भवदीय,

अतुल सिंह

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

विशेष न्यायाधीश(भ्र०नि०अधि-01)

लखनऊ।

संलग्नक-

01- प्रत्येक नीलामी सूचना से सम्बन्धित 06 प्रति।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 8051/Admin. (B-I) Section, Allahabad, दिनांक 07 सितम्बर, 2026 द्वारा जिला न्यायालय परिसर, लखनऊ में स्थित शेष दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/पार्किंग स्थल जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नीलामी में खाली रह गई थीं उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि हेतु परिपत्र पत्र संख्या 797/Admin. (B-I), दिनांक 15.03.1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार दुकानों की निर्धारित न्यूनतम आरक्षित धनराशि को 50 प्रतिशत कम करते हुए, परिपत्र में विहित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं। सीलबंद टेंडर के माध्यम से उठाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 17.10.2026 को 12:00 बजे तक सीलबंद टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन समय सायं 04:00 बजे माननीय उच्च न्यायालय पुराना परिसर कैसरबाग जनपद न्यायालय लखनऊ स्थित मध्यस्थता केन्द्र में खोले जायेंगे।

दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विवरण निम्न है-

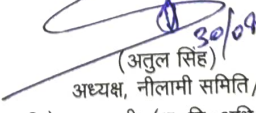
क्र.सं०	स्थल का नाम	प्रयोजन	वित्तीय वर्ष 2026-2027 न्यूनतम बोली राशि में नीलामी नहीं हो सकी।	संस्तुति लगभग पचास प्रतिशत 50% घटाने के उपरान्त राशि शेष वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु।	धरोहर राशि
1.	मन्दिर वाली चाय की दुकान नं० 3, गेट नं० 3 के बाहर रोडवेज वर्कशॉप के सामने	चाय	01,34,200/-	67,100/-	6,710/-
2.	बहुखण्डी भवन तृतीय तल स्थित कैटीन दुकान सं० 6	जलपान	07,32,050/-	03,66,000/-	36,600/-
3.	बहुखण्डी भवन पंचम तल स्थित कैटीन दुकान सं० 7	जलपान	04,36,810/-	02,18,500/-	21,850/-
4.	जलपान हेतु कैटीन दुकान नं० 8 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं० 8 के पास	जलपान	02,62,573/-	01,31,500/-	13,150/-
5.	भोजनालय दुकान नं० 9 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं० 8 के पास	भोजनालय	05,27,879/-	02,64,000/-	26,400/-
6.	सिंगल शटर दुकान नं० 10 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं० 8 के पास	जलपान	01,94,150/-	97,075/-	9,700/-
7.	सिंगल शटर दुकान नं० 13 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं० 8 के पास	फोटोस्टेट	07,93,100/-	03,96,000/-	39,600/-
8.	माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ कैसरबाग स्थित पुराने परिसर में गेट नं० 4 व 5 के पास कार पार्किंग स्टैण्ड	स्टैण्ड	1,21,000/-	60,500/-	6,050/-
9.	माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ कैसरबाग स्थित पुराने परिसर में गेट नं० 7 के पास मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग	पार्किंग	81,400/-	40,700/-	4,070/-
10.	पुराना हाई कोर्ट परिसर के गेट नं० 09 व राजस्व परिषद के कार्यालय के मध्य सिंगल शटर की दुकान नं० 19	फोटोस्टेट	1,00,000/-	50,000/-	5,000/-

उपरोक्त में अंकित धरोहर नगद धनराशि जनपद न्यायालय लखनऊ के केन्द्रीय नजार्त में नियत तिथि दिनांक 17.10.2026 को 12.00 बजे तक जमा कर उससे सम्बन्धित प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सकेगी। प्रतिभूति की धनराशि जमा न करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का आवंटन का अधिकार नहीं होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली धनराशि नगद जमा की जायेगी, उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की चेक/ड्राफ्ट एवं बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।

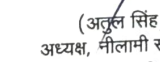
उपरोक्त दुकानों/कैन्टीनों/पार्किंग स्थल की अधिकतम राशि जिस प्रतिभागी के पक्ष में प्राप्त होगी उसे धनराशि का 50 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा तथा अन्तिम बोली का अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि 07 कार्य दिवस में जमा करना होगा।

उपरोक्त टेंडर की तिथि में किसी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार तथा किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।


 (अतुल सिंह)
 अध्यक्ष, नीलामी समिति/
 विशेष न्यायाधीश (प्र० नि० अधि-01)
 लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उनके कार्यालय स्थित सूचना को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु एवं कार्यालय के सूचना पट सूचनार्थ चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित-

- 01- नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग -ई-कोर्ट लखनऊ एवं माननीय उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
- 02- अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ।
- 03- कार्यालय मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 04- कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 05- नाजिर, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 06- प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क निगम, कैसरबाग, लखनऊ।
- 07- तहसीलदार तहसील, लखनऊ।
- 08- नाजिर अमेरिकन लाइब्रेरी, पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ।
- 09- नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, लखनऊ।


 (अतुल सिंह)
 अध्यक्ष, नीलामी समिति/
 विशेष न्यायाधीश (प्र० नि० अधि-01)
 लखनऊ।